

la[;k -----

मेरठ विकास प्राधिकरण

की

आवासीय योजनाओं में व्यवसायिक भूखण्डों, व्यवसायिक कम आवासीय भूखण्डों, व्यवसायिक कम ग्रुप हाउसिंग, ग्रुप हाउसिंग, होटल, औद्योगिक भूखण्ड, शैक्षिक, बारातघर / वैंकट हाल, नर्सिंग होम हैल्थ सेन्टर प्रयोजनार्थ भूखण्ड, हैल्थ सेन्टर के भूखण्ड को

निविदा—सह—खुली नीलामी पद्धति से

आवंटन हेतु नियम व शर्तों

की

विवरण पुस्तिका

निविदा—सह—नीलामी का प्रोग्राम : संलग्नक एक के अनुसार।

(विवरण पुस्तिका के विक्रय करने की अवधि : विज्ञापन दिनांक से नीलामी दिनांक तक)

विवरण पुस्तिका मूल्य रुपये 1000/-

मेरठ विकास प्राधिकरण की योजनाओं में स्थित व्यवसायिक भूखण्डों, व्यवसायिक कम आवासीय भूखण्डों, व्यवसायिक कम ग्रुप हाउसिंग, ग्रुप हाउसिंग, पेट्रोल पम्प, होटल, शैक्षिक, बारातघर/वैंकट हाल, नर्सिंग होम हैल्थ सेन्टर प्रयोजनार्थ भूखण्ड, हैल्थ सेन्टर के भूखण्ड को निविदा-सह-खुली नीलामी पद्धति से आवंटन हेतु नियम व शर्तें

1. प्राधिकरण की विज्ञापित सम्पत्तियाँ अर्जित हैं, भार रहित हैं एवम् विवाद रहित है।
2. भूखण्डों का विवरण, क्षेत्रफल, आरक्षित दर, धरोहर राशि का विवरण तथा नीलामी की तिथि संलग्नक-1 में उल्लिखित हैं।
3. निविदा-सह-नीलामी में भाग लेने हेतु पात्रता-
 - (1) आवेदक भारत का नागरिक हो।
 - (2) आवेदक की आयु न्यूनतम् 18 वर्ष होनी चाहिये।
 - (3) (अ) फर्म/साझेदारी फर्म/सोसायटी (फर्म-सोसायटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत)।
 - (ब) प्राईविट/पब्लिक लिमिटेड कम्पनी (फर्म-सोसायटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत)।
 - (स) व्यक्तिगत स्वामी।
 - (द) रजिस्टर्ड को-आपरेटिव सोसायटी (को-आपरेटिव सोसायटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत)।
 - (य) ट्रस्ट (पंजीकृत/अपंजीकृत)।
 - (र) एच०य०एफ०।
 - (ल) पंजीकृत कर्सोटियम (Consortium) फर्म।
 - (व) अन्य (यदि उपरोक्त से भिन्न हो)।
4. निविदा-सह-नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति/फर्म को नीलामी के समय दिये गये प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे कि प्रश्नगत नीलामी में भाग लेने वाले अन्य व्यक्तियों के साथ उसके व्यवसायिक सम्बन्ध नहीं हैं।
4. मोहरबन्द निविदायें “स्वहस्ताक्षरित नियम शर्तों के साथ” संलग्नक-1 में उल्लिखित तिथि को पूर्वान्ह 11.00 बजे से 2.00 बजे तक प्राधिकरण कार्यालय में रखे गये टैण्डर बाक्स में डाली जायेगी। मोहरबन्द निविदायें, निर्धारित प्रारूप पर जो कि संलग्नक-2 पर उपलब्ध है, पर प्रस्तुत की जायेगी तथा इनके साथ निर्धारित धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट, जो कि संलग्नक-1 में उल्लिखित है, उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण के पक्ष में देय हो, संलग्न करना होगा। कृपया आवेदक, नीलामी में भाग लेने हेतु निर्धारित प्रारूप पर उल्लिखित आवेदन पत्र (संलग्नक-3) टेण्डर बॉक्स में न डाले।

5. नीलामी का आयोजन प्राधिकरण कार्यालय के सभा कक्ष में संलग्नक-1 में उल्लिखित तिथि एवम् समय पर किया जायेगा। नीलामी में केवल निम्न व्यक्ति भाग ले सकते हैं:-
- जिन्होंने धरोहर धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/पे-आर्डर/बैंकर्स चैक्स मूल रूप में “स्वहस्ताक्षरित नियम शर्तों के साथ” अपनी निविदा के साथ जमा किया है, के द्वारा नीलामी में भाग लेने हेतु निर्धारित प्रारूप संलग्नक-3 के साथ जमा धरोहर राशि के ड्राफ्ट/पे-आर्डर/बैंकर्स चैक्स छाया प्रति संलग्न करते हुए प्रस्तुत करना होगा।
 - जिन्होंने मोहरबन्द निविदायें प्रस्तुत नहीं की है किन्तु सीधे नीलामी में भाग लेना चाहते हैं नीलामी प्रारम्भ होने से पूर्व निर्धारित प्रारूप संलग्नक-3 के साथ धरोहर राशि के बैंक ड्राफ्ट/पे-आर्डर/बैंकर्स चैक्स मूल रूप में संलग्न करते हुए प्रस्तुत करना होगा।
 - नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्तियों को अपने साथ मात्र एक व्यक्ति को लाने का अधिकार होगा।
 - यदि आवेदनकर्ता स्वयम् उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं तो वह निविदा आवेदन पत्र तथा नीलामी आवेदन पत्र स्वयम् पूर्ण करके अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से निविदा-सह-खुली नीलामी में भाग ले सकते हैं जिसके लिये आवेदनकर्ता, फर्म/कम्पनी आदि द्वारा अपने अधिकृत प्रतिनिधि के पक्ष में प्रोपर आथोराईजेशन किया जाना आवश्यक होगा और ऐसी दशा में अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा नीलामी समिति के समक्ष अपना अधिकार पत्र प्रस्तुत करना होगा।
 - यदि आवेदनकर्ता, फर्म/कम्पनी आदि का प्रतिनिधित्व कर रहा है तो आवेदनकर्ता को अपनी श्रेणी (व्यक्तिगत/व्यक्तिगत स्वामी, प्राईवेट/पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, फर्म साझेदारी, रजिस्टर्ड सोसायटी, रजिस्टर्ड को-आपरेटिव सोसायटी, ट्रस्ट, पंजीकृत कर्सोटियम (Consortium) फर्म एवम् एच०य०एफ० या अन्य) के सम्बन्ध में रजिस्ट्रेशन व मैमोरेण्डम आदि से सम्बन्धित आवश्यक कागजात आदि भी निविदा आवेदन पत्र तथा नीलामी आवेदन पत्र के साथ संलग्न करने होंगे।
 - निविदा-सह-खुली नीलामी में आवेदकों द्वारा अपनी दरें प्रति वर्ग मीटर में दी जायेगी।
 - एक बार बोली बोलने के पश्चात् उसे वापस नहीं लिया जा सकेगा। इसी प्रकार टेप्डर बॉक्स में अपनी निविदा डालने के पश्चात् निविदा के माध्यम से दी गयी दर वापस नहीं लिया जा सकेगा।
6. आवेदक जिस भूखण्ड हेतु निविदा, टेप्डर बॉक्स में डालेगा, वह उस ही भूखण्ड पर बोली बोलने के लिये अधिकृत होगा। प्रत्येक भूखण्ड के लिये आवेदन विवरण पुस्तिका, धरोहर राशि के बैंकर्स चैक्स/बैंक ड्राफ्ट/पे-आर्डर, आवेदन पत्र पृथक-पृथक से प्रस्तुत करने होंगे।
7. हैल्थ सेन्टर/नर्सिंग होम्स के भूखण्ड आवेदकों को निविदा-सह-नीलामी में भाग लेने के लिये आवेदक एम०बी०बी०एस० डाक्टर होना चाहिए। यदि आवेदनकर्ता

समिति, ट्रस्ट अथवा कम्पनी आदि की ओर से भाग ले रहे हैं तो उसमें एम०बी०बी०एस० डाक्टर का होना अनिवार्य है तथा हेत्थ सेन्टर/नर्सिंग होम की स्थापना हेतु परियोजना रिपोर्ट जिसमें वर्षवार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति/गतिविधियों का हवाला दिया जायेगा, इसके साथ संलग्न करें। यदि आवेदक ने पूर्व में या वर्तमान में कोई हेत्थ सेन्टर/नर्सिंग होम चलाया हो या चला रहे हों तो उसकी परफोरमेन्स को शामिल करते हुए पूर्ण विवरण दिया जायेगा, इसके साथ संलग्न किया जाये। व्यक्ति/संस्था अपनी वित्तीय स्थिति (हेत्थ सेन्टर/नर्सिंग होम से सम्बन्धित) को प्रदर्शित करने के लिये विगत 3 वर्षों की बैलेन्स शीट, आयकर रिटर्न आदि संलग्न करें।

8. नीलामी कराने वाले अधिकारी नीलामी समाप्त होने, मोहरबन्द निविदा खोलने के उपरान्त अपनी संस्तुति गुण-दोष के आधार पर उपाध्यक्ष मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ को प्रस्तुत करेंगे। उपाध्यक्ष अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी को निविदा/बोली निरस्त करने का अधिकार होगा व उच्चतम् निविदा अथवा बोली को भी बिना कारण बतायें निरस्त कर सकते हैं। इनका निर्णय सभी पक्षों को मान्य होगा एवम् इसे किसी माननीय न्यायालय में चुनौती नहीं दी जायेगी।
9. औद्योगिक भूखण्ड, लघु उद्योग कम आवासीय श्रेणी के भूखण्डों को छोड़कर शेष भूखण्डों का आवंटन ऑफर पत्र जारी होने के दिनांक से एक माह की अवधि के अन्दर शत प्रतिशत भुगतान पर 2 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। देय धनराशि का भुगतान, बैंकर्स चैक/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से करने की दशा में धनराशि का प्राधिकरण के खाते में अन्तरण की तिथि को आधार माना जायेगा।
10. मेरठ विकास प्राधिकरण से निविदा—नीलामी पद्धति से आवंटित औद्योगिक भूखण्ड का कब्जा अनुबन्ध/रजिस्ट्री कराने से पूर्व आवेदक को, औद्योगिक विभाग में एस०एस०आई० यूनिट के रूप में पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र, प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
11. उच्चतम् बोलीदाता/निविदादाता को बोली अथवा निविदा की स्वीकृति का सूचना पत्र/आवंटन आफर पत्र जारी होने की दिनांक से 30 दिन में मूल्य की शुद्ध 25% धनराशि (जमा धनरोहर राशि का समोयोजन करने हुए) प्राधिकरण कोष में और जमा करनी होगी। तत्पश्चात सम्पत्ति का आवंटन पत्र/आवंटन—कम—किश्त पत्र जारी किया जायेगा तथा शेष 75% धनराशि निम्नानुसार अदा की जायेगी।
 - (अ) भूखण्डों की बकाया 75% धनराशि 3 वर्ष की 6 समान छमाई किश्तों में 16% वार्षिक दर से ब्याज सहित देय होगी। फ्रीहोल्ड सम्पत्तियों का आवंटन ऑफर/आवंटन कम किश्त पत्र शासन द्वारा जारी सं० 72/3488/आठ-1-14-30विविध /2014 दिनांक 12 दिसम्बर, 2014 के अधीन सम्पत्ति की कीमत में फ्रीहोल्ड की धनराशि शामिल करते हुए जारी किया जायेगा।
 - (ब) पहली छमाई किश्त बोली अथवा निविदा स्वीकृति पत्र जारी होने के छः माह में देय होगी जिसका किश्त पत्र पृथक से प्रेषित किया जायेगा। देय किश्तें/देय धनराशि

- विलम्ब से भुगतान करने की दशा में विलम्ब अवधि का 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि दण्ड ब्याज अतिरिक्त देय होगा।
12. निविदा/नीलामी में आवेदकों की धरोहर राशि के रूप में प्राप्त बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/पे-आर्डर में से प्राधिकरण के लेखा अनुभाग द्वारा केवल उच्चतम् बोलीदाता की धरोहर राशि प्राधिकरण कोष में जमा की जायेगी तथा शेष आवेदकों की जमा धरोहर राशि के बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/पे-आर्डर उन्हें यथास्थिति वापस कर दिये जायेगे।
 13. द्वितीय स्थान के बोलीदाता को भी अन्य सम्पत्तियों में बोली बोलने का अधिकार होगा परन्तु इसके लिये उसे नीलामी में भाग लेने हेतु विवरण पुस्तिका सहित निर्धारित आवेदन पत्र पृथक से नीलामी आरम्भ होने से पूर्व नीलामी समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा परन्तु प्रतिबन्ध यह भी होगा कि प्रश्नगत सम्पत्ति जिसके सापेक्ष बोलीदाता नीलामी में भाग लेना चाह रहे हैं, उस सम्पत्ति के सापेक्ष नियत धरोहर राशि पूर्ण रूप से (शतप्रतिशत) जमा कराना होगा जिसमें निम्न स्थान के कारण पूर्व में जमा धनराशि समायोजित की जायेगी।
 14. निविदा अथवा बोली स्वीकृति पत्र जारी होने के उपरान्त एक माह की अवधि में जमा होने वाली धनराशि निर्धारित समय पर जमा न होने की दशा में आवंटन आफर अनिवार्यतः निरस्त कर दिया जायेगा एवम् एक माह के अन्दर यदि उच्चतम् बोलीदाता/नीलामीदाता निरस्त सम्पत्ति बहाल नहीं कराता है तो सम्पत्ति के सापेक्ष जमा धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।
 15. भूखण्ड का विधिवत् आवंटन पत्र/किश्त पत्र जारी हो जाने के उपरान्त दो या दो से अधिक छमाई किश्तें जमा न होने पर आवंटन निरस्त करके सम्पत्ति के सापेक्ष जमा धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी तथा शेष जमा धनराशि का 25 धनराशि धनराशि की कटौती करते हुए बची हुई धनराशि वापस की जायेगी। भूखण्ड के निरस्तीकरण का सूचना पत्र प्रेषित हो जाने के एक माह के अन्दर यदि उच्चतम् बोलीदाता/नीलामीदाता निरस्तशुदा भूखण्ड को बहाल नहीं कराता है तो भूखण्ड से बेदखल कर दिया जायेगा। यदि उच्चतम् बोलीदाता/नीलामीदाता, भूखण्ड के निरस्तीकरण के उपरान्त एक माह में भूखण्ड की बहाली चाहे तो तत्समय लागू नियमानुसार भूखण्ड बहाली का आदेश प्रसारित किया जायेगा तथा भूखण्ड की देनदारी पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही देय होगी।
 16. कब्जा हस्तान्तरण—

- (अ) आवंटित सम्पत्ति का कब्जा नकद भुगतान के आवंटियों को 100 (शत) प्रतिशत धनराशि, सम्पत्ति में लोकेशन चार्जेज को शामिल करते हुए भूमि मूल्य का 12 प्रतिशत फ्रीहोल्ड की धनराशि, लोकेशन चार्जेज, प्रचलित दस्तावेज शुल्क आदि की अदायगी के उपरान्त देय स्टाम्प डयूटी पर विक्रय विलेख पंजीकृत कराने के उपरान्त दिया जायेगा।
- (ब) किश्तों के आवंटियों को प्राथमिक स्टेज पर सम्पत्ति का कब्जा 25 (पच्चीस) प्रतिशत धनराशि, सम्पत्ति में लोकेशन चार्जेज को शामिल करते हुए भूमि मूल्य का 12

प्रतिशत फ्रीहोल्ड की धनराशि, लोकेशन चार्जेज, प्रचलित दस्तावेज शुल्क आदि की अदायगी के उपरान्त देय स्टाम्प डयूटी पर कब्जा अनुबन्ध पंजीकृत कराने के उपरान्त दिया जायेगा।

(स) यदि आवंटी किश्तों के चलते हुए बीच कब्जा प्राप्त करना चाहे तो आवंटित सम्पत्ति का कब्जा तत्समय तक की देय किश्तों की धनराशि अप-टू-डेट जमा करने, सम्पत्ति में लोकेशन चार्जेज को शामिल करते हुए भूमि मूल्य का 12 प्रतिशत फ्रीहोल्ड की धनराशि, लोकेशन चार्जेज, प्रचलित दस्तावेज शुल्क आदि की अदायगी के उपरान्त देय स्टाम्प डयूटी पर कब्जा अनुबन्ध पंजीकृत कराने के उपरान्त दिया जायेगा।

(द) हैत्थ सेन्टर/नर्सिंग होम्स के भूखण्ड का आवंटन लीज आधार पर होगा जिसके कब्जा अनुबन्ध/पटटा विलेख इनमें से जो भी पहले निष्पादित हो, के समय भूखण्ड मूल्य का 10 प्रतिशत लीजरेन्ट की धनराशि जमा करनी होगी शेष निमय शर्ते अन्य सम्पत्तियों की भाँति रहेगी।

17. आवंटित परिसम्पत्ति की पूर्ण धनराशि जमा करने के उपरान्त आवंटी को देय स्टाम्प डयूटी वहन करके 6 माह में परिसम्पत्ति की रजिस्ट्री कराना अनिवार्य होगा।
18. आवंटित परिसम्पत्ति के क्षेत्रफल के अन्तिम सत्यापन में कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी स्वीकार करेगा। सम्बन्धित भूखण्ड के न्यूनतम् मूल्य में कार्नर पर स्थित सम्पत्तियों में देय अतिरिक्त 10 प्रतिशत धनराशि सम्मिलित नहीं है। यदि आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल, तालिका में उल्लिखित स्टैण्डर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी और कार्नर पर स्थित भूखण्ड के मूल्य की 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि, रजिस्ट्री के समय देय होंगी।
19. भूखण्ड की रजिस्ट्री के समय लोकेशन चार्जेज देय होंगे।
20. फ्रीहोल्ड चार्ज (कीमत+लोकेशन चार्ज) का 12 प्रतिशत लिया जायेगा जो कि रजिस्ट्री के समय देय होगा।
21. परिसम्पत्ति जिन प्रयोजन से आवंटित की गयी है, उसके लिये ही प्रयोग किया जायेगा अन्यथा आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा तथा प्राधिकरण परिसम्पत्ति का कब्जा पुनः प्राप्त कर लेगा।
22. आवंटित भूखण्ड पर निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उत्तर प्रदेश नगर योजना एवम् विकास अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत मानचित्र स्वीकृत कराना होगा। भूखण्ड पर निर्माण अध्यावधिक शासनादेशों एवम् प्रचलित भवन निर्माण एवम् विकास उपविधि में उल्लिखित शर्तों, प्रतिबन्धों, उप-नियमों के अनुसार ही अनुमन्य किया जायेगा। आवंटित भूखण्ड पर भवन का मानचित्र “काउसिल ऑफ आर्किटेक्चर” से पंजीकृत वास्तुविद, स्ट्रक्चरल इंजीनियर पंजीकृत नगर नियोजक तथा आवंटी द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित होंगे। तीन मंजिल से अधिक ऊँचाई के भवनों के निर्माण में भूकम्परोधी प्राविधान किये जाने एवम् उनके स्ट्रक्चरल सेफटी के बारे में किसी मान्यता प्राप्त स्ट्रक्चरल इंजीनियर का प्रमाण पत्र भी संलग्न किया जायेगा। आवंटी द्वारा उत्तर स्ट्रक्चरल इंजीनियर का प्रमाण पत्र भी संलग्न किया जायेगा। आवंटी द्वारा उत्तर

- प्रदेश अपार्टमेन्ट (निर्माण, स्वामित्व और अनुरक्षण का संवर्धन) अध्यादेश, 2003 में उल्लिखित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा नियमानुसार अग्निशमन विभाग की अनापत्ति भी संलग्न की जायेगी। साथ ही ग्राउन्ड वाटर रीचार्जिंग के लिये वाटर हार्वेस्टिंग के आवश्यक प्राविधान करने होंगे।
23. आवंटी, परिसम्पत्ति तथा उसके प्रवेश एवम् सौँझी सुविधाओं को साफ सुधरा तथा अच्छी स्थिति में रखेगा।
 24. परिसम्पत्ति का आवंटन “जहाँ है जैसा है” पद्धति पर किया जायेगा तथा वह निविदा-सह-खुली नीलामी की तिथि से लागू होगा।
 25. मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा जिन भूखण्डों के निस्तारण हेतु निविदा-सह-खुली नीलामी का आयोजन किया जा रहा है, उनके सम्मुख जो विकास कार्य होने शेष है, वे नीलामी स्वीकृति के एक वर्ष की अवधि के अन्दर पूर्ण कर लिये जायेगे।
 26. अन्य शर्ते—
 - (1) उच्चतम् बोली/निविदादाता/आवंटी को विक्रय विलेख में उल्लिखित सभी शर्ते स्वीकार होगी एवम् भविष्य में शासन द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार अनुपालन करना होगा।
 - (2) प्राधिकरण की पल्लवपुरम, शृद्धापुरी फेस-प्रथम, शृद्धापुरी फेस-द्वितीय, सैनिक विहार, डिफैन्स एन्कलेव योजना को छोड़कर यदि अन्य योजनाओं की अर्जित भूमि पर भविष्य में सक्षम न्यायालय द्वारा भूमि अर्जन अधिनियम-1894 (यथा संशोधित) की धारा-18 व अन्य धाराओं में प्रतिकर की धनराशि बढ़ायी जाती है तथा सक्षम न्यायालय द्वारा प्रतिकर राशि उपरोक्तानुसार बढ़ाने के पश्चात् भूमि अर्जन अधिनियम-1894 (यथा संशोधित) की धारा-28 ए के तहत कलक्टर द्वारा सम्बन्धित अधिसूचना से सम्बद्ध अन्य कृषकों की भूमि दर बढ़ाये जाने की स्थिति में भूखण्ड की भूमि का मूल्य बढ़ता है तो वह उच्चतम् निविदा/नीलामीदाता/आवंटी द्वारा देय होगा और अदा न करने की स्थिति में समस्त बकाया एवम् देय धनराशि भू-राजस्व के बकाया के रूप में उच्चतम् निविदा/नीलामीदाता/आवंटी से वसूल की जायगी। अतः उक्त देय इस सम्पत्ति पर पहला चार्ज होगा।
 - (3) नीलामी समिति के अध्यक्ष को बिना कारण बताये नीलाम की जा रही सम्पत्ति को नीलामी से हटाने/स्थगित (निरस्त) करने का अधिकार होगा।
 - (4) आवंटित सम्पत्ति से सम्बन्धित समस्त विवाद मेरठ स्थित न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होंगे।
 - (5) प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक सम्पत्ति की आरक्षित दर संलग्नक-1 में उल्लिखित है।
 - (6) यदि किसी कारणवश आवंटित परिसम्पत्ति का कब्जा प्राधिकरण देने में असमर्थ होता है तो आवंटी से प्राप्त धनराशि बिना ब्याज बिना कटौती के वापस कर दी जायेगी।

(7) परिसम्पत्ति का आवंटन उच्चतम् बोली/निविदा को प्रचलित सिद्धान्त पर “जहाँ है जैसा है” के तहत किया जायेगा।

(8) विक्रीत भूखण्ड पर भू-आच्छादन एवं एफ0ए0आर0—भवन निर्माण एवं विकास उपविधि—2008 (यथा संशोधित 2011) के अनुसार अनुमन्य होगा।

(9) देय धनराशि का भुगतान, बैंकर्स चैक/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से करने की दशा में धनराशि का प्राधिकरण के खाते में अन्तरण की तिथि को आधार माना जायेगा।

(10) नियत तिथि को निविदा—सह—नीलामी सम्पन्न हो जाने के पश्चात्! विज्ञापन शुदा अवशेष गैर आवासीय सम्पत्तियों की नीलामी प्रत्येक मंगलवार (कार्य दिवस) में होगी।

(11) आवेदक कृपया निविदा—सह—नीलामी में भाग लेने से पूर्व प्राधिकरण कार्यालय के नोटिस बोर्ड व वेबसाईट पर इच्छित सम्पत्ति की रिक्तता की स्थिति ज्ञात कर लें।

(12) नीलामी कक्ष में केवल बोलीदाता एवं उसके अधिकृत व्यक्ति (केवल परिवार का व्यक्ति) टोकन सहित प्रवेश करने के लिये अधिकृत होगा। अनधिकृत प्रवेश पर बिना सूचना दिये कठोर कार्यवाही की जायेगी।

(13) किसी भी विषय में विवाद पर उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ का निर्णय अन्तिम होगा। उन्हें अपने विवेकानुसार इन शर्तों में अथवा किसी स्थान पर एतद् विषयक किसी भी शर्त/नियम को किसी भी समय शिथिल/संशोधित करने का अधिकार होगा जो कि उच्चतम् बोली/निविदादाता/आवंटी को मान्य होगा।

उपाध्यक्ष,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

निविदादाता/नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति की ओर से घोषणा—

मैं घोषित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त नियम एवम् शर्तों का अध्ययन कर लिया गया है जो मुझे मान्य है।

.....
निविदादाता/बोलीदाता के हस्ताक्षर मोहर सहित एवम् पूरा नाम

व पता:-

नाम.....

पिता का नाम.....

पता.....

.....

संलग्नक-1

रिक्त भूखण्डों का विवरण व प्रोग्राम

भूखण्डों की प्रत्येक मंगलवार को पूर्वान्ह 11 बजें से अपराह्न 2.00 बजे तक। समय—				भूखण्डों की नीलामी प्रत्येक मंगलवार को तिथियाँ व समय— अपराह्न 2.30 बजें से।			
निविदा हेतु विकास प्राधिकरण कार्यालय का स्थान सभागार				नीलामी का स्थान विकास प्राधिकरण कार्यालय का सभागार			
क्र0 सं0	पॉकेट/ सैक्टर	भूखण्ड सं0	क्षेत्रफल वर्ग मीटर में	न्यूनतम आरक्षित दर प्रति वर्ग मीटर में	अनुमानित कीमत लाख में	धरोहर राशि लाख रुपये में	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
भूखण्डों का विवरण				क्षेत्रफल वर्ग मीटर में	आरक्षित दर प्रति वर्ग मीटर में	कीमत लाखों में	धरोहर राशि लाखों में
शताब्दी नगर (व्यवसायिक भूखण्ड, सेक्टर 1, पॉकेट बी)							
C-21			394.80	21000	82.91	8.29	
शताब्दी नगर (व्यवसायिक भूखण्ड, सेक्टर 4सी, पॉकेट डी)							
C-5, C-6, C-7, C-8			120	21000	25.20	2.52	
C-9, C-25, C-30			180	21000	37.80	3.78	
C-18, C-37, C-38			200	21000	42.00	4.20	
C-19, C-20, C-21, C-22, C-23, C-24, C-26, C-27, C-28, C-29, C-31, C-32, C-33, C-34, C-35, C-36			250	21000	52.50	5.25	
गंगानगर (व्यवसायिक भूखण्ड)							
J/C-1			3042	22000	669.24	66.92	
NP/C-4/2			4089.5	22000	899.69	89.97	
K/C-1			800	22000	176.00	17.60	
M/C-1			400	22000	88.00	8.80	
N/ COMMERCIAL			4529	22000	996.38	99.64	
N/C-2			530	22000	116.60	11.66	
P/C-2			990	22000	217.80	21.78	
शताब्दीनगर, सेक्टर-7, ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड							
7/GH-01, 02, 03, 04			5424	15750	854.28	85.43	
7/GH-05			3469.35	15750	546.42	54.64	
7/GH-06			6170.60	15750	971.87	97.19	
डा०राम मनोहर लोहियानगर, ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड							
E/GH-01			4050	15750	637.88	63.79	
E/GH-02			3801	15750	598.66	59.87	
डा० राम मनोहर लोहियानगर, पॉकेट डी(ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड)							
GH-01			2783.50	15750	438.40	43.84	
GH-02 & 03			2754.63	15750	433.85	43.39	
गंगानगर, पॉकेट बी, व्यवसायिक भूखण्ड							
बी/सी-2, 3			1500	22000	330.00	33.00	
बी/सी-4			1583.25	22000	348.32	34.83	
गंगानगर, पॉकेट एच, हैल्थ सेन्टर भूखण्ड							
हैल्थ सेन्टर			10495	11000	1154.45	115.45	

गंगानगर, पॉकेट एच, ग्रुपहाउसिंग भूखण्ड				
GH-01	2181	16500	359.87	35.99
गंगानगर, व्यवसायिक भूखण्ड				
CP/C-02	4531.32	22000	996.89	99.69
CP/C-03	5588.00	22000	1229.36	122.94
CP/C-04	6350.00	22000	1397.00	139.70
IC-02, 03, 05,	180	22000	39.60	3.96
N/P C-4/1	4089.50	22000	899.69	89.97
पांडव नगर, व्यवसायिक भूखण्ड				
G/B PART	204.80	29000	59.39	5.94
वेद व्यासपुरी, व्यवसायिक भूखण्ड				
C-02	1222.00	29800	364.16	36.42
C-03	1119.87	29800	333.72	33.37
C-04	1398.70	29800	416.81	41.68
C-05	1510.00	29800	449.98	45.00
C-06, 07,	1250.00	29800	372.50	37.25
C-09	12309.55	29800	3668.25	366.83
C-10	6162.47	29800	1836.42	183.64
C-11	6166.05	29800	1837.48	183.75
C-12	8211.60	29800	2447.06	244.71
C-13	7422.77	29800	2211.99	221.20
C-14	6029.37	29800	1796.75	179.68
C-15	6025.25	29800	1795.52	179.55
C-16	6021.12	29800	1794.29	179.43
C-17	6017.27	29800	1793.15	179.31
C-18	6013.43	29800	1792.00	179.20
C-19	6009.57	29800	1790.85	179.09
4B/COMMR	8038.15	29800	2395.37	239.54
डिफेन्स एन्कलेव, व्यवसायिक कम आवासीय भूखण्ड				
BC-08	285.60	27000	77.11	7.71
BC-13, 20	275.00	27000	74.25	7.43
BC-17, 24	202.50	27000	54.68	5.47
BC-29	352.88	27000	95.28	9.53
BC-28	335.26	27000	90.52	9.05
BC-34	303.60	27000	81.97	8.20
डिफेन्स एन्कलेव, पॉकेट ए ग्रुप हाउसिंग के भूखण्ड				
A/GH	2006.45	20250	406.31	40.63
श्रद्धापुरी फेस-1, व्यवसायिक भूखण्ड, सेक्टर-4				
C-04	596.00	27000	160.92	16.09
श्रद्धापुरी फेस-1, व्यवसायिक भूखण्ड, सेक्टर-8				
C-1/6	394.40	27000	106.49	10.65
C-1/7	438.44	27000	118.38	11.84
श्रद्धापुरी फेस-2, व्यवसायिक भूखण्ड				
A/07	112.50	27000	30.38	3.04

श्रद्धापुरी फेस-2, व्यवसायिक भूखण्ड				
CP-02, CP-03	5000	27000	1350.00	135
CC-17	148.75	27000	40.16	4.016
पल्लवपुरम (कन्वीनिएन्ट शॉप्स)				
G/C.S.	375	22000	82.50	8.25
G/C.S.	375	22000	82.50	8.25
H/C.S.	450	22000	99.00	9.90
I/C.S.	550	22000	121.00	12.10
सैनिक विहार (कन्वीनिएन्ट शॉप्स का भूखण्ड)				
B/C.S.	1139	22000	250.58	25.06
डिफेन्स एन्कलेव (कन्वीनिएन्ट शॉप्स का भूखण्ड)				
B/C.S.	81.20	27000	21.92	2.19
डा० राम मनोहर लोहियानगर, व्यवसायिक भूखण्ड, पॉकेट ई				
सी-1	1056.9	21000	221.95	22.19
सी-2	1052.6	21000	221.05	22.10
सी-3, 12	203.04	21000	42.64	4.26
सी-4, 5, 6, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,	162.00	21000	34.02	3.40
सी-7,	202.77	21000	42.58	4.26
सी-8	203.31	21000	42.70	4.27
सी-13,	204.66	21000	42.98	4.30
सी-17	203.49	21000	42.73	4.27
सी-18,	207.33	21000	43.54	4.35
सी-19,	163.26	21000	34.28	3.43
सी-20	162.18	21000	34.06	3.41
सी-21	160.92	21000	33.79	3.38
सी-22	201.3	21000	42.27	4.23
सी-23	209.43	21000	43.98	4.40
सी-43	275.22	21000	57.80	5.78
डा० राम मनोहर लोहियानगर, व्यवसायिक भूखण्ड, पॉकेट बी				
BC-01	5646.75	21000	1185.82	118.58
BC-02,	1082.70	21000	227.37	22.74
BC-04	2640.00	21000	554.40	55.44
BC-05	1107.54	21000	232.58	23.26
BC-06	1114.20	21000	233.98	23.40
BC-07	5193.31	21000	1090.60	109.06
BC-09, 11	5890.32	21000	1236.97	123.70
BC-10	2635.29	21000	553.41	55.34
BC-12	2665.50	21000	559.76	55.98

BC-13	2462.63	21000	517.15	51.72
लोहियानगर (कन्वीनिएन्ट शॉप्स के भूखण्ड, पॉकेट डी)				
3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 , 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 , 24, 25, 26, 27, 28, 29,	25.08	21000	5.27	0.53
<u>डा० राम मनोहर लोहियानगर, पॉकेट डी(व्यवसायिक भूखण्ड)</u>				
DC-01,	1319.12	21000	277.02	27.70
DC-03, DC-04, DC-05,	1041.00	21000	218.61	21.86
DC-07	1479.39	21000	310.67	31.07
रक्षापुरम, व्यवसायिक भूखण्ड				
1/C-11	1000	22000	220.00	22.00
1/C-2/13, 2/14	150	22000	33.00	3.30
एयरपोर्ट एन्कलेव (शताब्दीनगर) व्यवसायिक				
C-O2	2017.50	21000	423.68	42.37
C-03	2030.00	21000	426.30	42.63
एयरपोर्ट एन्कलेव (शताब्दीनगर) होटल				
C-1	2017.50	21000	423.68	42.37
C-4	2008.50	21000	421.79	42.18
शताब्दीनगर, सेक्टर 2, व्यवसायिक कम ग्रुप हाऊसिंग प्रयोजनार्थ भूखण्ड				
11	4514.66	21000	948.08	94.81
12	2447.18	21000	513.91	51.39
38	3491.18	21000	733.15	73.31
39	2526.70	21000	530.61	53.06
40	2451.25	21000	514.76	51.48
41	3057.00	21000	641.97	64.20
42	3583.18	21000	752.47	75.25
43	3455.96	21000	725.75	72.58
शताब्दीनगर, सेक्टर 2, व्यवसायिक भूखण्ड				
सी-4	1392.80	21000	292.49	29.25
सी-5	1000.00	21000	210.00	21.00
सी-9, 10	1743.75	21000	366.19	36.62
सी-13	1113.75	21000	233.89	23.39
सी-14	1140.37	21000	239.48	23.95
सी-15	917.00	21000	192.57	19.26
सी-16	1794.90	21000	376.93	37.69
सी-21, 22, 23, 24	1412.00	21000	296.52	29.65
सी-28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35	1400.00	21000	294.00	29.40
वेद व्यासपुरी योजना औद्योगिक भूखण्ड				
8/25A	1000.00	11175	111.75	11.18
शताब्दीनगर सेक्टर-3, शैक्षिक, बारातघर/वैंकट हाल, नर्सिंग होम हैल्थ सेन्टर प्रयोजनार्थ भूखण्ड				
KH-1031, 1105 & 1106 (RETHANI)	5729.47	10500	601.59	60.16
शताब्दीनगर, व्यवसायिक कम ग्रुप हाऊसिंग				
4C/GH-01	5554.10	21000	1166.36	116.64
4C/GH-02	5559.00	21000	1167.39	116.74
4C/GH-03	5564.00	21000	1168.44	116.84

डा० राम मनोहर लोहियानगर, हैल्थ सेन्टर भूखण्ड				
L/ HELTH CENTER	992.00	10500	104.16	10.42
डा० राम मनोहर लोहियानगर, हैल्थ सेन्टर / नर्सिंग होम भूखण्ड				
BC-08	3900.00	10500	409.50	40.95
शताब्दीनगर, हैल्थ सेन्टर भूखण्ड				
4C/B/ HELTH CENTER	10000	10500	1050.00	105.00

1. निविदा/नीलामी आवेदन पत्र के साथ निर्धारित धरोहर धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/पे आर्डर लगाया जाना अनिवार्य है, नीलामी स्वीकृति पश्चात् शुद्ध 25 प्रतिशत धनराशि (धरोहर धनराशि समायोजित करते हुए) का भुगतान एक माह में तथा शेष 75 प्रतिशत धनराशि 16 प्रतिशत ब्याज सहित 3 वर्ष की 6 समान छमाही किश्तों में तथा लोकेशन चार्जर्ज रजिस्ट्री के समय देय होगा।
2. औद्योगिक भूखण्ड, लघु उद्योग कम आवासीय श्रेणी के भूखण्डों को छोड़कर शेष भूखण्डों का आवंटन ऑफर पत्र जारी होने के दिनांक से एक माह की अवधि के अन्दर शत प्रतिशत भुगतान पर 2 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। देय धनराशि का भुगतान, बैंकर्स चैक/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से करने की दशा में धनराशि का प्राधिकरण के खाते में अन्तरण की तिथि को आधार माना जायेगा।
3. मेरठ विकास प्राधिकरण से निविदा—नीलामी पद्धति से आवंटित औद्योगिक भूखण्ड का कब्जा अनुबन्ध/रजिस्ट्री कराने से पूर्व आवेदक को, औद्योगिक विभाग में एस०एस०आई० यूनिट के रूप में पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र, प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. विक्रीत भूखण्ड पर भू—आच्छादन एवं एफ०ए०आर०—भवन निर्माण एवं विकास उपविधि—2008 (यथा संशोधित 2011) के अनुसार अनुमन्य होगा।
5. रिक्त भूखण्डों का विवरण प्राधिकरण कार्यालय के नोटिस बोर्ड प्राधिकरण की बेबसाईट (WWW.mdameerut.org.in) पर उपलब्ध रहेगा। आवेदक कृपया रिक्त भूखण्डों की सूची से मिलान करने के उपरान्त ही निविदा—सह—नीलामी में भाग लेवे।
6. पंजीकृत कर्सोटियम (Consortium) फर्म भी नीलामी में भाग ले सकती है।
7. विवरण पुस्तिका में निहित भूखण्डों को स्थल पर भी देखा जा सकता है।
8. भूखण्डों के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी योजनाधिकारी से तथा तकनीकी जानकारी मुख्य नगर नियोजक/अधिशासी अभियन्ता—प्रथम से किसी भी कार्यालय दिवस में ली जा सकती है।

layXud&2

la[;k -----

fufonk frfFk& layXud ,d ds vuqlkjA
 fufonk;sa Mkyus dk le; iwokZUg 11-00 cts ls vijkUg 2-00 cts rdA
 LFku& विकास प्राधिकरण कार्यालय का सभागार
 esjB fodkl izkf/kdj.k] esjBA
 fufonk i)fr ls ifjlEifRr izklr djus gsrq vkosnu lk=A

1- fufonk fdl lEifRr ds fy;s gS%&

$\frac{1}{4}v\frac{1}{2}$ Hkw[k.M la0 ----- $\frac{1}{4}c\frac{1}{2}$

lSDVj -----

$\frac{1}{4}l\frac{1}{2}$ ikWdsV ----- $\frac{1}{4}n\frac{1}{2}$

{ks=Qy ----- oxZ ehVj

$\frac{1}{4};\frac{1}{2}$;kstuk dk uke -----

$\frac{1}{4}vkosnd$
 dk ikLiksVZ
 lkbZt dk
 LogLrk{kfjr
 QksVks $\frac{1}{2}$

2- vkosnd dk uke $\frac{1}{4}fgUnh$ esa $\frac{1}{2}$ -----

$\frac{1}{4}vaxzsth$ esa $\frac{1}{2}$ -----

3- vkosnd ds firk@ifr dk uke Jh -----

4- vkosnd dh vk;q ----- o"kJ] fyax -----

oSokfgd Lrj -----

5- irk -----

Qksu la0 ¼fuokl½ - ¼dk;kZy;½ - - - - - o
eksckbZy la0 - - - - -

6- ;fn vkosnd ,d ls vf/kd O;fDr;ksa dh vksj ls Hkkx ys jgk gS
rks vkosnd lfgr muds uke irksa dk iwjk fooj.k - - - - -

7- O;olk; - - - - -

8- ;fn izkbZosV fyfeVsM dEiuh] ifCyd fyfeVsM dEiuh] O;fDrxr
Lokeh] lk>snkjh] jftLVMZ lkslk;Vh] jftLVMZ dks&vkijsfVo
lkslk;Vh] iathd`r dlksZfV;e (Consortium) QeZ] VªLV ,oe~ vU;
;fn mijksDr ls fHkUu gks rks mYys[k djsa - - - - -

¼d½ uke - - - - -

i= O;ogkj dk irk%& - - - - -

----Qksu la0 ¼fuokl½ - - - - - ¼dk;kZy;½ - - - -

- - - - o eksckbZy la0 - - - -

LFkk;h irk -----

----- Qksu la0 ¼fuokl½ - - - - - ¼dk;kZy;½ - - -

- - - - o eksckbZy la0 - - - -

¼[k½ iathdj.k la[;k o o"kJ ¼ftl o"kJ esa laLFkk iathd`r gqbZ
gS½ -----

uohuhdj.k dc rd dh vof/k ds fy;s gS -----

¼x½ eq[; dk;Zdkjh vf/kdkjh dk uke o irk%& -----

----- Qksu la0

¼fuokl½ - - - - - ¼dk;kZy;½ - - - - - o

eksckbZy la0 - - - -

¼?kJ½ izcU/kdkjh.kh lnL;ksa ds uke o irsa& -----

O;olk; %& -----

½d`i;k izcU/kdkjh.kh lnL;ksa ds iw.kZ fooj.k lfgr lwph vyx ls
layXu djsa½

9- vkosnd dk cSad esa [kkrk la[;k o cSad dk iwjk uke -----

10- /kjksqj /kujkf'k dk fooj.k& cSad M^ak¶V@cSadIZ
pSDI@is&vkMZj la[;k-----
-tek /kujkf'k vadu :i;s -----
----- tkjhdkZ cSad dk uke--

11. यदि विवरण पुस्तिका प्राधिकरण के वेबसाईट से प्राप्त की गयी है तो विवरण पुस्तिका के क्रय मुल्य के सापेक्ष जमा धन का विवरण— बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक्स/पे-आईर संख्या
दिनांक जमा धनराशि अंकन रूपये
जारीकर्ता बैंक का नाम

12- vkosnd }jkj vkosfnr Hkw[k.M ds fy;s vkjf{kr nj ds lkis{k
nh x;h nj ----- :i;s izfr oxZ ehVj ¼'kCnksa esa -
----- :i;s izfr oxZ ehVj½

izkf/kdj.k }jkj miyC/k djk;h x;h fu;e&'krksZ dk fufonknkrk us
v/;u dj fy;k x;k gS tks fufonknkrk dks ekU; gS A
vkosnu dh frfFk-----

layXud&3

la[;k -----

आवेदक के हस्ताक्षर।

uhykeh frfFk& layXud ,d ds vuqlkjA
 uhykeh izkjEHk vijkUg 2-30 ctsa lsA
 gksus dk le;&
 LFKku& विकास प्राधिकरण कार्यालय का सभागार

esjB fodkl izkf/kdj.k] esjBA

uhykeh ¼cksyh½ i)fr ls ifjlEifRr izklr djus gsrq vkosnu lk=A

1- uhykeh ¼cksyh½ fdl lEifRr ds fy;s gS%&

½v½ Hkw[k.M la0 - - - - - ¼c½

ISDVj - - - - -

¼l½ ikWdsV - - - - - ¼n½

{ks=Qy - - - - - oxZ ehVj

¼;½ ;kstuk dk uke - - - - -

2- vkosnd dk uke ¼fgUnh esa½-----

¼vaxzsth esa½ -----

3- vkosnd ds firk@ifr dk uke Jh -----

4- vkosnd dh vk;q - - - - o"kJ] fyax - - - -
 oSokfgd Lrj - - - -

5- irk - - - -

¼vkosnd
dk ikLiksVZ
lkbZt dk
LogLrk{kfjr
QksVks½

Qksu la0 ¼fuokl½ - - - - - ¼dk;kZy;½ - - - -
 - - - o eksckbZy la0 - - - -

6- ;fn vkosnd ,d ls vf/kd O;fDr;ksa dh vksj ls Hkkx ys jgk gS
 rks vkosnd lfgr muds uke irksa dk iwjk fooj.k - - - - -
 - - - - -
 - - - - -
 - - - - -
 - - - - -
 - - - - -
 - -

7- O;olk; - - - - -
 - - - - -

8- ;fn izkbZosV fyfeVsM dEiuh] ifCyd fyfeVsM dEiuh] O;fDrxr
 Lokeh] lk>snkjh] jftLVMZ lkslk;Vh] jftLVMZ dks&vkijsfVo
 lkslk;Vh] iathd`r dlksZfV;e (Consortium) QeZ] VªLV ,oe~ vU;
 ;fn mijksDr ls fHkUu gks rks mYys[k djsa - - - - -
 - - - - - ¼d½ uke - - - - -

i= O;ogkj dk irk %& - - - - -
 - - - - -
 - - - - -

Qksu la0 ¼fuokl½ - - - - - ¼dk;kZy;½ - - - -
 - - o eksckbZy la0 - - - -

LFkk;h irk %& -----

¼[k½ iathdj.k la[;k o o"kJ ¼ftl o"kJ esa laLFkk iathd'r
gqbZ gS½ ----- uohuhdj.k dc rd dh vof/k
ds fy;s gS -----

¼x½ eq[; dk;Zdkjh vf/kdkjh dk uke o irk%& -----

----- + -----
----- Qksu la0 ¼fuokl½ ----- ¼dk;kZy;½ -----
----- o eksckbZy la0 -----

¼?kJ½ izcU/kdkjh.kh lnL;ksa ds uke o irsa& -----

O;olk;%& -----

¼d`i;k izcU/kdkjh.kh lnL;ksa ds iw.kZ fooj.k lfgr lwph vyx ls
layXu djsa½

9- vkosnd dk cSad esa [kkrk la[;k o cSad dk iwjk uke -----

10- /kjksqj /kujkf'k dk fooj.k& cSad Mªk¶V@cSadIZ
pSDI@is&vkMZj la0-----
--tek /kujkf'k vadu :i;s -----
----- tkjhdkZ cSad dk uke-----

-
-
11. यदि विवरण पुस्तिका प्राधिकरण के वेबसाईट से प्राप्त की गयी है तो विवरण पुस्तिका के क्रय मुल्य के सापेक्ष जमा धन का विवरण— बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक्स/पे—आर्डर संख्या
दिनांक जमा धनराशि अंकन रूपये
जारीकर्ता बैंक का नाम

**izkf/kdj.k }kjk miyC/k djk;h x;h fu;e&'krksZ dk cksyhkrk us
v/;;u dj fy;k x;k gS] tks cksyhkrk dks ekU; gSA
vkosnu dh frfFk-----**